

श्री केदारनाथ सिंह, माननीय स.वि.स. से प्राप्त तारांकित

प्रश्न सं. 18/02/1976 का उत्तर प्रतिवेदन:-

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मंत्री जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:</p> <p>1. सारण जिलान्तर्गत बहियारा चँवर की जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रखण्ड मशरख एवं बनियापुर के लगभग चार लाख किसानों की फसल की बर्बादी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक बहियारा चँवर से जल निकासी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत बहियारा चौर बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित आद्रभूमि की सूची में आता है। बिहार सरकार द्वारा राज्य की आद्रभूमियों के संरक्षण निमित्त कई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः आद्रभूमियों में जल संचयन कर इसके जैव पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित तथा भू-गर्भ जलस्तर बनाये रखना शामिल है।</p>

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-57/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/1976 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-57/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-57/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-57/2026-

1347

पटना, दिनांक-20/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

